निर्णय बइजलास श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां द्वारा उद्घोषित
प्रकरण सं.:- 112/15 प्रा.पत्र
दायरा दिनांक:- 20.11.15
निर्णय दिनांक:- 19.2.18

उनवान

1. धापूबाई पुत्री बेज्या जाति सहरिया निवासी कालावदा खुर्द
2. आशाबाई पुत्री बेज्या जाति सहरिया निवासी कालावदा खुर्द छीपाबड़ौद

बनाम

1- नर्बदी बाई पुत्री बेज्या पत्नी बाबूलाल जाति सहरिया नि. कालावदा खुर्द तह. छीपाबड़ौद जिला बारां
2- राज. सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबड़ौद
3. राज. सरकार जरिये जिला कलक्टर बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA
निर्णय दिनांक - 19.2.2018

अभिभाषक उपस्थित :- 1 श्री मनमोहन मालव एड. - प्रार्थी
2. श्री ललित कुमार शर्मा - अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट विरुद्ध अप्रार्थी गण के नाम. से इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम कालावदा खुर्द तहसील छीपाबड़ौद में प्रार्थी गण एवं अप्रार्थी क्र. 1 के पिता हनक बेज्या पुत्र प्रांती लाल जाति सहरिया नि. कालावदा खुर्द तह. छीपाबड़ौद के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी ख.नं. 485/2970 रकबा 15 बीघा, आराजी है जिसके उक्त जीवन काल में हनक बेज्या ही खातेदार थे प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्र. एक के पिता बेज्या पुत्र प्रांती की मृत्यु हो चुकी है तथा हनक बेज्या के पुत्र नहीं है एवं पत्नी की मृत्यु भी बेज्या के जीवन काल में हो चुकी है इसलिए हनक पिता बेज्या के प्रार्थीगण धापूबाई, आशाबाई एवं अप्रार्थी क्र. 1 नर्बदी बाई तीन लड़कियां है जो सुलबी औलाद एवं वारिस है। अप्रार्थी क्र. 1 के मन में

लगातार-2

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

का आरोप है कि वह उक्त आराजी को स्वयं अकेली की वारिस बताकर स्वयं के नाम पर खाते दर्ज कराना चाहती है प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी क्र. 1 स्व. पिता बेजा की सुल्बी औलाद होने से उक्त आराजी का फौती इन्तकाल खुलवाकर तीनों बहनों के पृथक-पृथक हिस्सा 1/3 भाग दर्ज कराने की हकदार है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुतीकरण कारण तब उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थी क्र. 1 एक द्वारा स्वयं को एक मात्र वारिस बताकर स्वयं अकेली के नाम खातेदारी में दर्ज कराने पर आमादा हुई। प्रार्थीगण स्व. पिता बेजा की पुत्रियां होने से ग्राम कालाखेड़ा खरण की ख.नं. 485/2970 रकबा 15 बीघा आराजी की खातेदार घोषित कराने एवं नियमानुसार कब्जा कर पृथक-पृथक 1/3 भाग दर्ज कराने की हकदार है तथा अप्रार्थीगण के खिलाफ आज्ञाप्ति निषेधात्मक स्थायी वाद प्राप्त करने की हकदार है। प्रथम दृष्टया, वाद एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्र. 1 की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम आलाखेड़ा खरण सम्वत 2069-72 खाता नं. 112 पेश की गयी अप्रार्थी द्वारा जवाब पत्र के समर्थन में नकल फौती दर्ज वसीयतनामा दिनांक 18-5-2005 पेश की गयी।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गयी बहस के दौरान वकील प्रार्थिया का कथन है कि धापूबाई व आशाबाई की ओर से एक वाद धारा 88, 89, 90, 91, 92A, 53, 188 RTA पेश किया जिसमें 212 RTA का प्रार्थना पत्र पेश किया कि विवादित आराजी ख.नं. 485/2970 रकबा 15 बीघा, जो कि स्व. बेजा पुत्र घासीलाल मदारिया निवासी आलाखेड़ा खरण के खातेदारी में है उक्त आराजी बेजा के जीवन में भी. धापूबाई, आशाबाई अप्रार्थी नं. 1 नर्वदीबाई तीनों ही बेजा की पुत्रियां है इस बात को अप्रार्थीगण भी स्वीकार करते है बेजा का स्वर्ग हो गया बेजा का स्वर्गवास होने पर बेजा की तीनों पुत्रियां 1/3, 1/3, 1/3 की हकदार है बेजा का स्वर्गवास होने के बाद उनके उत्तराधिकारी तीनों वारिस पुत्रियों के नाम नामान्तरण खोला जाना चाहिये था। परन्तु नर्वदीबाई ने राजस्व कर्मचारियों से मिल कर सम्पूर्ण आराजी का इन्तकाल अपने नाम खुलवाने का प्रयास किया इसलिये यह वाद व प्र.पत्र पेश किया कि विवादित आराजी में तीनों पुत्रियां बराबर की हकदार है यदि विवादित आराजी का इन्तकाल दौरान वाद अप्रार्थी नं. 1 के नाम खोल दिया गया

लगातार - 3

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

तो जामीगण को अधिरोपित हर्जाई होगी क्योंकि विवादित आराजी
मजमून हुक्म में आ चुकी है अप्रार्थी राजस्व कार्यवाहियों के विरुद्ध
सम्पूर्ण मुआवजा प्राप्त करने की स्थिति में है यदि अप्रार्थी सं.1 ने
इन्तकाल आपके पक्ष में खुलवा लिया तो उन अधिरोपित हर्जाई की हानि
नहीं होगी। अप्रार्थी ने जवाब में कहा कि हस्तक बेचान द्वारा अप्रार्थी
सं.1 के पक्ष में बसीयत की थी। उक्त दस्तावेज अनरजिस्टर्ड
दस्तावेज के आधार पर इन्तकाल खोला जाना न्यायोचित
नहीं है अतः उक्त विवादित आराजी का इन्तकाल अभी अन्वेषु अप्रार्थी
सं.1 नवीदी कोर्ट के नाम राजस्व कार्यवाही नहीं खोल व विवादित
आराजी का मुआवजा अप्रार्थी सं.1 प्राप्त नहीं करे यदि इन्तकाल खोल
तीनों पुत्रियों के नाम खोले अन्यथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति
बनाये रखे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी गण का कथन है कि
वादीगण द्वारा कब्जे हेतु दावा पेश किया है विवादित आराजी खसरा नं.
485/2910 बेचान पुत्र धाती नहीं है उनके नाम है इन्होंने वाद पत्र में
कहीं नहीं दर्शाया कि हस्तक बेचान के नाम दर्ज भूमि पैतृक है
या स्वअर्जित जबकि उक्त भूमि स्वअर्जित है हस्तक बेचान द्वारा आराजी
की बसीयत पुत्र अप्रार्थी सं.1 के पक्ष में की थी। इनका कथन कि
बसीयत अनरजिस्टर्ड है केवल मात्र अनरजिस्टर्ड करने से बसीयत अवैध
नहीं हो सकती। बसीयत लिखित मौखिक किसी भी तरह से हो सकती
है उक्त भूमि स्वअर्जित है जिसे बसीयत करने का हस्तक बेचान को अ
अधिकार था। उक्त बसीयत की पुलिस थाना में भी रिपोर्ट की थी थाना
द्वारा भी जांच में उक्त बसीयत सही मानी है उक्त बसीयत सही है
अतः वा.पत्र खारिज फरमावे इनके द्वारा वाद कारण व डिक्री भी
लिखी है दावे की तारीख को माना है जो गलत है थानाधिकारी जांच
करने हेतु सक्षम है जांच में बसीयत को सही माना है अतः वा० पत्र
खारिज फरमाया जावे।

बहस के दौरान वकील वादी का कथन है कि वाद कारण
जब इन्तकाल खुलवाने ~~मल~~ लगे तभी उत्पन्न हो गया। वाद कारण की ति
20-11-2015 को भी उसी दिन दावा पेश किया जो जवाब वा.पत्र में
अंकित की है बेचान की तीनों पुत्रियों का बराबर हक है तीनों का
काश्त कर रही है कथन किया कि थाने ~~द्वारा~~ में FIR दर्ज हुई
बसीयत की जांच की थी। थानाधिकारी बसीयत की वैधानिकता की जांच
करने हेतु सक्षम नहीं है यह क्षेत्राधिकार सि.न्याया. को है थाने की
का कोई दस्तावेज पत्रावली में भी नहीं है जब न्याया. में दावा किया

लगातार-

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

(4)

है तो वाद के दौरान अभिलेख कार्यवाहियों को जांच करने के कोई अधिकार नहीं है प्रा. पत्र स्वीकार करने योग्य किसी तरह से इन्तकाल नहीं हुआ है।

बहस अभिभाषक आवेदक पक्षकारान सुनी गयी। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कालावड़ा खुर्द सम्वत 2069-72 खाता सं. 112 के अनुसार भैरूलाल पुत्र धांसी जाति मेहर के खातेदारी में दर्ज होना पाया जाता है, तथा वसीयतनामा दिनांक 18.5.2005 के अनुसार भैरूलाल पुत्र धांसी जाति मेहर निवासी कालावड़ा खुर्द द्वारा ख.नं. 297 रकबा 15 बीघा की वसीयत अपनी नवली(?) बाई पुत्री भैरूलाल जाति मेहर निवासी कालावड़ा खुर्द के हक में की गयी। वसीयत 100/- के स्टाम्प पर लिखी हुई है तथा गवाहों से प्रमाणित है, अप्रार्थी गण ने अपने जवाब में विवादित आराजी भैरूलाल की स्वअर्जित बताया है किंतु स्व. भैरूलाल व वसीयत कर्ता का पूर्ण अधिकार होना बताया है प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति भी इसके सम्बन्ध में रिकार्ड व दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं किया विवादित आराजी पैतृक साबित हो सके। भैरूलाल द्वारा [illegible] की आनी को अपनी पुत्री नवली बाई के पक्ष में वसीयत की है अगर प्रार्थीया को कोई आपत्ति थी तो [illegible] वसीयत को खारिज कराने की कार्यवाही करनी चाहिये थी। वसीयत को खारिज कराने की कार्यवाही प्रार्थीया द्वारा नहीं की है विवादित आराजी पैतृक होने का भी कोई रिकार्ड पेश नहीं किया है प्रार्थीया द्वारा विवादित आराजी पैतृक साबित करने में विफल रही है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया गण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA स्वीकार योग्य नहीं होने से एवं नामंजूर होने से खारिज किया जाता है पत्रावली नियम अनुसार होकर बाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(हीरालाल वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां
उप खण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद